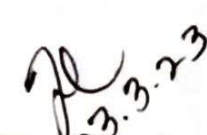
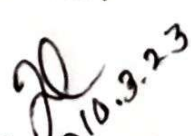


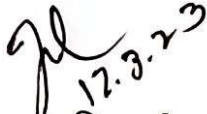
आदेश पत्रक

आदेश की क्रम और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
3.2023	अभिलेख उपस्थापित/अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व में प्रतिवेदित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी के संबंध में जो प्रतिवेदन दिया गया है वह स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में पूर्व में भी उपायुक्त महोदय के द्वारा किये गए बैठक में यह निर्देशित किया गया था कि इस प्रकार के चल रहे अभिलेख कि विस्तृत जांच कि जाय, की मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, तदनुसार आगे कि कार्रवाई कि जाय। अतः उक्त निदेश के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से विस्तृत जांच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुसंशा के साथ समर्पित करें कि मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, जांच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर समर्पित करें।  अंचल अधिकारी, मनातू। अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है, पुनः जांच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 17.03.2023 को रखें।  अंचल अधिकारी, मनातू।	

17.3.23 अभिलेख अपस्थापित।

राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन से जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन के द्वारा प्रतिवेदन किया गया है। कि मौजा..... वंगी खुद थाना सं०..... 403 खाता सं०..... 54 प्लॉट सं०..... 568/E रकबा..... 1.00.20 है। जिसका जमाबंदी मांग पंजी II के पृष्ठ सं०..... 46/II पर कालीलाल महतो के नाम से मांग कायम है। मांगधारी रैयत को उक्त भूमि सक्षम अधिकार अनुमण्डल पदाधिकारी सदर मेदिनीनगर से बन्दोबस्त/वाद सं०..... 106/88-89 से प्राप्त है।
अतः राजस्व/प्रभारी अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन
के प्रतिवेदन एवं अनुसंशा के आधार पर उक्त भूमि संदिग्ध/संदेहास्पद नहीं है।
वाद कि कारवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित


अंचल अधिकारी,
मनातू।


अंचल अधिकारी,
मनातू।

सेवा में

अंचल आधिकारी

प्रचार पत्र

विषय:- संविधान/संवेदास्पद अभावपी केस नं 34/2016-17 से संबंधित
जोय प्रतिवेदन के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषय के संबंध में प्रतिवेदन कला है कि संविधान/
संवेदास्पद अभावपी केस नं 34/2016-17 से संबंधित जोय अंतर
पाया कि ग्राम वेंगी खुर्द के मोंग पेजी II के स.स. 46/II मोंग धावी
रेंयर कान्नी लाल महंग पिता बनवावी प्रहंग के नाम से मोंग कागज है।
और लॉर्ड मोंग पेजी II के अनुसार भूमि का किरण निम्न प्रकार है।

ग्राम	खता	प्लॉट	रकबा	परिचय का अधिकार
वेंगी खुर्द	54	568/E	1.00 ए०	-

उपर्युक्त वर्णित भूमि का लगान वर्ष 1987 से वर्ष 2006 दर्ज है।
अंतिम भुगतान रसीद स.स. 353277-दिनांक 22.7.06 दर्ज है। मोंग धावी
रेंयर से भूमि संबंधित दस्तावेज की मोंग की गई जिसमें भावेद्व द्वारा
अनुमंडल पदाधिकारी चंदर डालहनोज द्वारा स्वीकृति आदेश दिनांक
24.2.89 छोटा नगरपुर कास्त्रकारी अधिनियम की धारा 63/A के अंतर्गत
लगान निर्धारण का स.स. 106/88-89 का काया प्रति प्रस्तुत किया गया जो
अभिलेख के साथ संलग्न है। भवन कार्यक्रम में अलग-अलग निवास से मिलान किया
जिसमें केस नं 106/88-89 दर्ज है। मोंग धावी रेंयर द्वारा प्रदत्त दस्तावेज मोंग पेजी II
में दर्ज मोंग के आधार पर यह प्रमला संविधान/संवेदास्पद प्रतीत
नहीं होता है।

अतः जोय प्रतिवेदन निम्नानुसार अग्रतर कवाई हेतु
स्वाधर संमर्पित।

1/10/23
CS

विश्वास भाजन
15/03/23
R.S.I